



कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल

स्लीपी हॉलो, नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड, भारत

Kumaun University, Nainital

K U Nainital

प्रो० दीवान एस. रावत

एफ एन ए एससी, एफ आर एस सी, सी केम (लन्दन)

कुलपति

Prof. Diwan S. Rawat

FNASc, FRSC, CChem (London)

Vice-Chancellor

Sleepy Hollow, Nainital-263001, Uttarakhand, India

(Accredited "B⁺" Grade by NAAC)

पत्रांक - के०यू०/वी०सी०/2025/1165

दिनांक - 20.05.2025

सेवा में,

सचिव,

उच्च शिक्षा,

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अन्तर्गत National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framework for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनरीक्षित/निर्धारित अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों (Tentative Minimum Common Syllabus) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से लागू न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों के क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framedwork for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनरीक्षित/निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश सं० 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासनादेश सं० 971/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के क्रम में निर्मित कर अनुमोदनार्थ पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को अनुमोदन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं० - 127/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 23 अप्रैल, 2024 अनुमोदन कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या - 221506/XXIV-C-4/2024-01(6)/2019(E-21661), दिनांक 02 जुलाई, 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में आंशिक संशोधन के पश्चात् अन्तिम रूप दिया गया जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 के मध्य विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाओं का आयोजन कर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया। इन कार्यशालाओं में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल एवं कतिपय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा IIT, IISC, IISER, JNU, DU इत्यादि से नामित बाह्य विशेषज्ञों द्वारा भी निर्मित पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन कर अपने सुझाव उपलब्ध कराये, जिन्हें पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशन एवं सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05-07 मई, 2025 की अवधि में सचिवालय, स्थित सभागार देहरादून में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/विषय समन्वयकों द्वारा पुनः शासन द्वारा नामित ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से जुड़े विषय विशेषज्ञों के समक्ष पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2025 को अपराह्न 04:00 बजे सचिव, उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में पुनः पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक विचार-विमर्शोपरान्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit

Structure), अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Tentative Minimum Common Syllabus) एवं तत्सम्बन्धी अध्यादेश को अन्तिम रूप प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त वर्णित विभिन्न चरणों के माध्यम से अनुमोदित नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) के आधार पर निर्मित अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु निर्मित अध्यादेश तथा दिनांक 15.04.2025 एवं 16.05.2025 को आयोजित पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। समस्त निर्मित पाठ्यक्रम दिनांक 05-07 मई, 2025 की बैठकों में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में विषय विशेषज्ञों के सुझावों को समाहित करने के पश्चात् विभागाध्यक्षों/विषय समन्वयकों द्वारा डॉ० दीपक पाण्डे, सहायक निदेशक एवं नोडल, NEP-PMU को प्रेषित किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि यह नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से उत्तराखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों की विभिन्न वैधानिक समितियों से पारित कराये जाने के उपरान्त लागू किये जाने हैं तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त आवश्यक सूचनायें (नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर सहित) समर्थ पोर्टल पर भी समाहित की जानी आवश्यक होगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
भवदीय,



प्रो० दीवान एस० रावत,
कुलपति/ अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समिति,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रो० ओ० पी० एस० नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
2. प्रो० एन० के० जोशी, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
3. प्रो० सतपाल सिंह बिष्ट, कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
4. प्रो० सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, गौलापार, हल्द्वानी।
6. प्रो० एम० एस० एम० रावत, सलाहकार उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रो० के० डी० पुरोहित, सलाहकार उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।



प्रो० दीवान एस० रावत,
कुलपति/ अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समिति,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उत्तराखण्ड



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

दिनांक 16.05.2025 को आयोजित पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

पुनरीक्षित क्रेडिट संरचना (Revised Credit Structure) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पाठ्यक्रम समान रूप से लागू किये जाने हेतु दिनांक 15.04.2025 को आयोजित Curriculum Development Committee की बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर विचार कर अनुमोदन किया गया था। दिनांक 15.04.2025 को आयोजित Curriculum Development Committee की बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित कतिपय बिन्दुओं पर पुनर्विचार तथा व्यवहारिकता एवं सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05 से 07 मई, 2025 में आयोजित बैठकों में प्राप्त सुझावों के आधार पर दिनांक 16.05.2025 की अपरान्ह 04:00 बजे सचिव, उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में पुनः पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही -

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. प्रो० दीवान सिंह रावत, | अध्यक्ष |
| कुलपति/अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, उत्तराखण्ड। | |
| 2. सचिव, | विशेष आमन्त्रित सदस्य |
| उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | |
| 3. प्रो० ओ० पी० एस० नेगी, | सदस्य |
| कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड | |
| 4. प्रो० एन० के० जोशी, | सदस्य |
| कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल। | |
| 5. प्रो० सतपाल बिष्ट, | सदस्य |
| कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा | |
| 6. प्रो० सुरेखा डंगवाल, | सदस्य |
| कुलपति दून विश्वविद्यालय, देहरादून। | |
| 7. प्रो० एम० एस० एम० रावत, | सदस्य |
| सलाहकार, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | |
| 8. प्रो० के० डी० पुरोहित, | सदस्य |
| सलाहकार, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | |

बैठक में व्यापक विचार-विमर्शोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये -

बिन्दु सं० 1. नये पुनरीक्षित क्रेडिट संरचना (Revised Credit Structure) के आधार पर विभिन्न विषयों के विषय विशिष्ट मूल (Discipline Specific Core) के चयन एवं परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा व अनुमोदन।

निर्णय -

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम संकाय चुनने के पश्चात् सम्बन्धित संकाय से 03 विषय विशिष्ट मूल (DSC) के रूप में चुने जान होंगे जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रुप के आधार पर चयनित किये जायेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है और यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गये विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

बिन्दु सं0 2. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) में भाषा आधारित 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। किसी भी भाषा का आधार मजबूत करने के लिये 06-08 क्रेडिट की पढ़ाई का पूर्ण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चतुर्थ सेमेस्टर से Reasoning and Aptitude अथवा भाषा में से किसी एक विकल्प को चुने जाने का विकल्प विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में AEC के अन्तर्गत विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आगामी सेमेस्टर में इसे परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई विद्यार्थी AEC के अन्तर्गत चयनित भाषा का परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गया क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) में मात्र प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर में ही परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। परन्तु क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) प्रोग्रेसिव मोड पर आधारित पाठ्यक्रम है, अतः विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त परिवर्तित कर चुने गये नये AEC के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा साथ ही चुने गये नये AEC के प्रथम सेमेस्टर के क्रेडिट को पृथक से बैकलॉग के माध्यम से अर्जित किया जाना होगा। प्रथम सेमेस्टर में पूर्व में चयनित AEC के अर्जित क्रेडिट मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे साथ ही सम्बन्धित AEC में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0 3. मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) को विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से चयन कर सकता है, उसका प्रगतिशील (Progressive) चयन अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

बिन्दु सं0 4. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से SEC का चयन कर सकता है। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव (Progressive) के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करना होगा जोकि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के चयन के समय विद्यार्थी को अपने मूल विषय से भिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों का चयन किये जाने के लिये प्रेरित किया जाना होगा, जिससे कि वह अपने मूल विषय के अतिरिक्त कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का अध्ययन कर सके।

बिन्दु सं0 5. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तय करेंगे। सम्बन्धित कोर्स (AEC/SEC/VAC) में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0 6. प्रत्येक अकादमिक वर्ष के उपरान्त Certificate/Diploma/Degree की नामावली के सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।

निर्णय -

प्रत्येक अकादमिक वर्ष के उपरान्त कार्यक्रम को पूर्ण करने पर (निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर) औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इसके लिये एक मानकीकृत (Standard) नामकरण प्रणाली को अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त नामकरण प्रणाली में कार्यक्रम, कोर कोर्स, एवं AEC/SEC/VAC के शीर्षक एवं अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

उदाहरण - एक वर्ष - बी0 एस-सी0 फिजिकल साइन्स, कोर: भौतिकी, रसायन, AEC - अंग्रेजी, SEC - साइंटिफिक राइटिंग, VAC - पर्यावरण विज्ञान - कुल क्रेडिट - 44

तीन वर्ष के पश्चात् स्नातक, चतुर्थ वर्ष (FYUP के अन्तर्गत) Honours/Honours with Major-Minor/Honours with Research इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे।

बिन्दु सं0 7. इन्टर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट तथा कम्युनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का एक-एक इन्टर्नशिप अथवा अप्रेंटिसशिप अथवा प्रोजेक्ट तथा कम्युनिटी आउटरीच अथवा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) का चयन करना होगा। इन्टर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट तथा कम्युनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) Application based होना चाहिए। IAPC & Fieldwork के मूल्यांकन को निष्पक्ष एवं सन्तुलित बनाये जाने के सन्दर्भ प्रस्ताव है कि इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु त्रिस्तरीय मूल्यांकन संरचना लागू की जायेगी-

1. सुपरवाइजर/मेंटॉर-IAPC & Fieldwork की प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।
2. विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त मूल्यांकन व्यवस्था तय करेंगे।

बिन्दु सं0 8. विद्यार्थियों हेतु प्रथम 02 वर्षों में माइनर प्रोजेक्ट पूर्ण कराये जाने पर विचार

निर्णय -

स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को IAPC & Fieldwork के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी तृतीय वर्ष में लागू IAPC & Fieldwork को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को लघु परियोजनाओं का ज्ञान अर्जित किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष में किसी एक सेमेस्टर में विद्यार्थी को SEC के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध (Minor Project) पूर्ण करना आवश्यक होगा।

बिन्दु सं0 9. चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर में Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर चर्चा एवं अनुमोदन

निर्णय -

इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 06 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का अध्ययन करने का प्रावधान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का Topic आवंटित किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Outcome निर्धारित किये जायेंगे तथा विद्यार्थी द्वारा इन Outcomes को प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर सम्बन्धित सेमेस्टर हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project की रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन विधि तय करेंगे।

बिन्दु सं0 10. कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिये डेटा साइन्स को अनिवार्य बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय -

कला वर्ग कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत डेटा साइन्स (Data Science) से सम्बन्धित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डेटा साइन्स का पाठ्यक्रम अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के आधार पर भी प्रेरित किया जा सकता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त Certification भी प्रदान किया जा सकता है। जिसका वर्णन विद्यार्थी की डिग्री में भी अंकित किया जा सकता है।

बिन्दु सं0 11. Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को माईनर के रूप में प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि -

- क. 04 क्रेडिट के GE के रूप में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं।
- ख. GE के अन्तर्गत 28 क्रेडिट पूर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माईनर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0 12. Online/MOOC's पाठ्यक्रमों के अध्ययन द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट्स को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

Online/MOOC's पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि-

- क. क्रेडिट संरचना में FYUP के अन्तर्गत डिग्री हेतु 176 क्रेडिट अर्जित किये जाने अनिवार्य हैं।
- ख. Online/MOOCs के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट को शामिल किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नीति निर्धारण करेंगे।
- ग. आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत नीति तैयार की जानी होगी।
- घ. इन क्रेडिट्स को सीधे Academic Bank of Credits (ABC) में जोड़ा जा सकता है।
- ङ. अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट्स का उपयोग मैरिट निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0 13. शैक्षणिक वर्षों के मध्य प्रोन्नति (Promotion) हेतु मापदण्डों के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय -

सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर न्यूनतम 26 क्रेडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी दोनों सेमेस्टरों में शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहे एवं उनका पठन-पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे। यह नियम समस्त पाठ्यक्रमों एवं समस्त वर्गों पर समान रूप से लागू होगा।

बिन्दु सं0 14. अध्यादेश में भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा-निर्देशों एवं अध्यादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय -

अध्यादेश में भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा-निर्देशों एवं अध्यादेशों को समाहित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अध्यादेश में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।



प्रो० दीवाने एस० रावत,
कुलपति/ अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समिति,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उत्तराखण्ड



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

बैठक दिनांक 15.04.2025 की कार्यवाही

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019 दिनांक 31-10-2023 द्वारा पुनर्गठित पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की आवश्यक बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में दिनांक 15.04.2025 को किया गया। बैठक में निम्नांकित सदस्य ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से उपस्थित रहे -

- | | |
|--|----------------|
| 1. प्रो० डी० एस० रावत, | अध्यक्ष |
| कुलपति/अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति, | ऑफलाईन मोड |
| 2. प्रो० एन० के० जोशी, | सदस्य |
| कुलपति, | ऑनलाईन मोड |
| श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी, गढ़वाल। | |
| 3. प्रो० सतपाल बिष्ट, | सदस्य |
| कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। | ऑनलाईन मोड |
| 4. प्रो० सुरेखा डंगवाल, | सदस्य |
| कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून। | ऑनलाईन मोड |
| 5. प्रो० एम० एस० एम० रावत, | सदस्य |
| सलाहकार, उच्च शिक्षा, | ऑनलाईन मोड |
| उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | |
| 6. प्रो० के० डी० पुरोहित, | सदस्य |
| सलाहकार, उच्च शिक्षा, | ऑनलाईन मोड |
| उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | |
| 7. जे० डी०, उच्च शिक्षा | आमंत्रित सदस्य |
| | ऑनलाईन मोड |
| 8. प्रो० संजय पन्त, | आमंत्रित सदस्य |
| समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, | ऑफलाईन मोड |
| कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल | |
| 9. प्रो० सन्तोष कुमार, | आमंत्रित सदस्य |
| निदेशक, आई० क्यू० ए० सी० | ऑफलाईन मोड |
| कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल | आमंत्रित सदस्य |
| 10. डॉ० महेन्द्र राणा, | ऑफलाईन मोड |
| संकायाध्यक्ष, बायोमेडिकल साइंसेस | |
| कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल | |

कार्यवाही -

बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से लागू न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों के क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framedwork for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनर्नीक्षित/निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश सं० 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासनादेश सं० 971/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के क्रम में निर्मित कर अनुमोदनार्थ पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को अनुमोदन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं० - 127/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661)] दिनांक 23 अप्रैल, 2024 अनुमोदन कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या - 221506/XXIV-C-

4/2024-01(6)/2019(E-21661), दिनांक 02 जुलाई, 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में आंशिक संशोधन के पश्चात् अन्तिम रूप दिया गया।

समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्शोपरान्त निम्नांकित संस्तुतियाँ की जाती हैं -

1. समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत पुर्नरीक्षित नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (**Tentative Revised Credit Structure**) पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/संबंध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत वर्तमान में लागू क्रेडिट स्ट्रक्चर तथा यू0 जी0 सी0 द्वारा दिसम्बर, 2022 में जारी CCFUP तथा अप्रैल, 2023 में जारी NHEQF के मध्य विसंगतियों को दूर करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किये जाने वाले पुर्नरीक्षित नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (**Tentative Revised Credit Structure**) को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2. **AEC (Ability Enhancement Courses)** के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि 03 सेमेस्टर में विद्यार्थी हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा संस्कृत भाषा में से किसी एक भाषा का चयन कर अध्ययन करेंगे तथा 01 सेमेस्टर में तर्कशक्ति तथा तर्क क्षमता (**Reasoning and Aptitude**) **AEC** के पाठ्यक्रम का भाग होगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि यदि विद्यार्थी चाहें तो वह मान्यता प्राप्त ऑनलाईन माध्यम से **AEC** के अंतर्गत किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा (**Modern Indian Language**) का अध्ययन कर अपने क्रेडिट अर्जित/पूर्ण कर सकता है।
3. **VAC (Value Added Courses)** के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये पूल में पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तकनीकी ज्ञान समाधान तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आने वाले विषयों को सम्मिलित किया गया है। बैठक में **VAC** में पूल के अंतर्गत सम्मिलित विषयों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तैयार पूल को अन्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जायेगा तथा अन्य विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार **VAC** के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अन्य विषयों को पूल में सम्मिलित कर संचालित कर सकते हैं।
4. **SEC (Skill Enhancement Courses)** की सूची समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तुत सूची केवल एक सुझाव है जो शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर विश्वविद्यालयों के स्तर पर पुर्ननिर्धारित की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार **SEC** के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अन्य विषयों को पूल में सम्मिलित कर संचालित कर सकते हैं।
5. बैठक में पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर **Experiential & Project Based** आधारित बनाये जाने पर विशेष महत्व दिये जाने हेतु विस्तृत चर्चा के पश्चात् स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर में इन्टर्नशिप/अप्रेन्टिसशिप/प्रोजेक्ट/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क (**IAPC & Fieldwork**) हेतु 04 क्रेडिट आवंटित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **IAPC & Fieldwork** के सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त विश्वविद्यालय आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने स्तर से इनके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिये नीति तैयार करेंगे। जिससे विश्वविद्यालय परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों में एकरूपता लायी जा सके।
6. समिति को अवगत कराया गया कि नियमित विषयों के (**Regular & Professional**) के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पाठ्यक्रमों को कार्यशालाओं एवं बाह्य विषय विशेषज्ञों के परामर्श के उपरान्त अन्तिम रूप प्रदान किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से कौशल उन्मुख घटकों को भी शामिल किया गया है। समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करने के साथ ही इन्हें हितधारकों के सुझावों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध कराये जाने व शासन को भी सुझाव हेतु प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे विषय जो किसी एक ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाते हैं (**University Centric**) सम्बन्धित विश्वविद्यालय ऐसे विषयों के पाठ्यक्रम निर्मित करवाकर पृथक से अनुमोदनार्थ शासन को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
7. **Certificate/Diploma/Degree** के **Nomenclature** के संबंध में विस्तृत चर्चा के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नरीक्षित क्रेडिट स्ट्रक्चर दिल्ली विश्वविद्यालय के **Multi Core Structure** के समान होने के दृष्टिगत दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श के पश्चात् यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।
8. **Standalone P. G.** पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन पाठ्यक्रमों में चतुर्थ एवं पंचम वर्ष हेतु निर्धारित पुर्नरीक्षित नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (**Tentative Revised Credit Structure**) के आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

9. **Standalone Certificate/Diploma** पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में **Credit Equivalence** के सम्बन्ध में शासन स्तर पर नीति निर्धारण होने के पश्चात् भविष्य में इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया जाना संभव होगा।
10. समस्त विश्वविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षाओं को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में विषयों के चयन हेतु पूर्व में लागू ग्रुप प्रणाली को यथावत् रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
11. **VAC (Value Added Courses), AEC (Ability Enhancement Courses) & SEC (Skill Enhancement Courses)** एवं **IAPC & Fieldwork** के सम्बन्ध में समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने स्तर से इनके क्रियान्वयन, परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु नीति निर्धारण किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिससे विश्वविद्यालय परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों में एकरूपता लायी जा सके।
12. एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नति हेतु क्रेडिट निर्धारण एवं प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि -
 - क. विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (**Odd Semester**) से अगले सम सेमेस्टर (**Even Semester**) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (**Odd Semester**) का परिणाम कुछ भी हो।
 - ख. वर्तमान सम सेमेस्टर (**Even Semester**) से अगले विषम सेमेस्टर (**Odd Semester**) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी -

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (**required**) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित कर लिये हो अर्थात् (पेपर्स) (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।
 - ग. **CGPA** को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किये जाने हेतु **Conversion Factor 9.5** का उपयोग किये जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया कि समस्त पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. बी0 कॉम0 एवं बी0 कॉम0 आनर्स पाठ्यक्रमों की सर्वस्वीकार्य नामावली (**Nomenclature of Degrees**) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को शासन को निर्देशार्थ प्रेषित किया जाये।
14. समिति द्वारा अध्यादेश पर चर्चा की गयी तथा बैठक में लिये गये निर्णयों को अध्यादेश में सम्मिलित करते हुए अध्यादेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
15. बैठक में भविष्य में **Add-on** कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक नीति निर्धारण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।



प्रो० दीवान सिंह रावत,
कुलपति/अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

अध्यादेश - रूपरेखा 2025

ORDINANCE &
CURRICULUM FRAMEWORK – 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू

Contents :

1.	प्रस्तावना	3
2.	पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations)	4
3.	परिभाषायें (Definitions)	4
4.	न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)	6
5.	उद्देश्य (Scope)	6
6.	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी	6
7.	कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) -	6
8.	ए0ई0सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)	7
9.	वी0 ए0 सी0 - मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course)	7
10.	एस0ई0सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)	7
11.	आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्प्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क	7
12.	विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन	8
13.	क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]	11
14.	मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)	17
15.	क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण	17
16.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली	18
17.	उत्तीर्ण प्रतिशत	18
18.	कक्षान्तोति (Promotion)	19
19.	बैक पेपर परीक्षा	19
20.	काल अवधि	20
21.	SGPA एवं CGPA की गणना	20
22.	प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time-table)	21
23.	मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit)	21
24.	अध्यादेश संशोधन का अधिकार	22

1- प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से लागू न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों के क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framedwork for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनरीक्षित/निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासनादेश सं0 971/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के क्रम में निर्मित कर अनुमोदनार्थ पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को अनुमोदन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0 - 127/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 23 अप्रैल, 2024 अनुमोदन कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या - 221506/XXIV-C-4/2024-01(6)/2019(E-21661), दिनांक 02 जुलाई, 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में आंशिक संशोधन के पश्चात् अन्तिम रूप दिया गया जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 के मध्य विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाओं का आयोजन कर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया। इन कार्यशालाओं में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल एवं कतिपय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा IIT, IISC, IISFR, JNU, DU इत्यादि से नामित बाह्य विशेषज्ञों द्वारा भी निर्मित पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन कर अपने सुझाव उपलब्ध कराये, जिन्हें पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशन एवं सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05-07 मई, 2025 की अवधि में सचिवालय, स्थित सभागार देहरादून में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/विषय समन्वयकों द्वारा पुनः शासन द्वारा नामित ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से जुड़े विषय विशेषज्ञों के समक्ष पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे सचिव, उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में पुनः पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक विचार-विर्मशोपरान्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure), अन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Tentative Minimum Common Syllabus) एवं तत्सम्बन्धी अध्यादेश को अन्तिम रूप प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) के अनुरूप विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों द्वारा अन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों (Tentative Minumum Common Syllabus) को निर्मित किया गया है। जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की दिनांक 16.05.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त हितधारकों (समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों) के सुझाव हेतु समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 एवं 16.05.2025 में अध्यादेश के प्रावधानों को निम्नवत् स्पष्ट किया गया -

2- पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations) –

क्रम	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	NHEQF - National Higher Education Qualification Framework	एन0एच0ई0क्यू0एफ0 - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता विन्यास
2.	CCFUP - Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programme	स्नातक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट संरचना
3.	DSC - Discipline Specific Core	डी0एस0सी0 - विषय विशिष्ट मूल
4.	DSE - Discipline Specific Elective	डी0एस0ई0 - विषय विशिष्ट ऐच्छिक
5.	GE - Generic Elective	जी0ई0 - सामान्य ऐच्छिक
6.	AEC - Ability Enhancement Course	ए0ई0सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम
7.	SEC - Skill Enhancement Course	एस0ई0सी0 - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम
8.	VAC - Value Added Course	वी0ए0सी0 - मूल्य योजन पाठ्यक्रम
9.	IAPC - Internship/Apprentice/Project/Community Outreach	(इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)
10.	NCVET - National Council for Vocational Education and Training	एन0 सी0 वी0 ई0 टी0 - राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

3 - परिभाषायें (Definitions) –

- 3.1 **क्रेडिट (Credit)** – एक क्रेडिट वह ईकाई है जिसके द्वारा पाठ्यकार्य का मापन किया जाता है। यह प्रति सप्ताह में आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या को निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 01 घंटे के शिक्षण {व्याख्यान (Lecture) या अनुव्याख्यान (Tutorial)} अथवा 02 घंटे के प्रायोगिक कार्य/फील्डवर्क (Practical/Field Work) के तुल्य है।
- 3.2 **उपलब्ध पाठ्यक्रम (Available Courses)** – अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विषय विशेष में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करेगा, नामतः विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core), विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective) और सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective)।
- 3.3 **क - विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core)** – विषय विशिष्ट मूल (DSC) अध्ययन का मुख्य पाठ्यक्रम है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विषय विशिष्ट मूल (DSC) उस विशेष विषय के क्रेडिट (Credit) पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अनुसार Entry/Exit विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किये जा रहे अध्ययन के सत्र में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।
- ख - विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective)** – विषय विशिष्ट ऐच्छिक यथावश्यक, उस विशेष विषय (अध्ययन के एकल विषय कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम) के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक निकाय होगा, जिसे विद्यार्थी अपने विषय विशेष (Discipline Specific) से अध्ययन हेतु चुनता है। विषय विशिष्ट ऐच्छिक का एक निकाय होगा जिसमें से छात्र एक DSE का चयन कर सकता है। रूपरेखा के निर्दिष्ट विषय विशिष्ट ऐच्छिक को सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जायेगा।

ग - सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective) — सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective) पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा जो छात्रों को बहुविषयक या अन्तर्विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। विद्यार्थियों द्वारा सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective) विषय का चुनाव इस प्रकार किया जा सकेगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा चयनित **विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core)** से सम्बन्धित न हो।

घ - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC - Ability Enhancement Course) — क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान तथा समग्र विकास है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।

ङ - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC - Skill Enhancement Course) — कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संघटित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है Progressive तथा Non-Progressive।

च - मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC - Value Added Course) — मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे।

ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सत्रों के समूहों में प्रस्तुत किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा, जिसमें से विद्यार्थी अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (AEC, SEC, VAC) का चयन कर सकते हैं।

3.4 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)** — एक वर्ष का यू0 जी0 सर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू0 जी0 डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी0 ए0 बी0 एस-सी0, बी0 कॉम0 इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (आर्नस विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जायेगी।

3.5 3.5.1 **संकाय (Faculty)-**

- A. संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- B. विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत जो संकाय व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.6 3.6.1 **विषय (Subject)-**

- A. संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- B. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.7 3.7.1 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-**

- A. एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- B. थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4 - न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) –

- 4.1 सभी विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) के रूप में उपलब्ध कराये गए पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान रखेंगे ताकि अन्तर्विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफर/Equivalence सुगमता से संचालित हो सकें।
- 4.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक विषय (DSC/DSE/GE इत्यादि) के क्रेडिट निर्धारित किये गए हैं। सभी विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में आन्तरिक रूप से व्याख्यानों की संख्या इत्यादि अपने स्तर से तय कर सकते हैं।

5. उद्देश्य (Scope) –

- 5.1. यह व्यवस्था Basic / Applied Science, Arts, Social Sciences & Humanities, Languages & Commerce के सभी संकायों पर लागू होगी।
- 5.2 ऐसे समस्त पाठ्यक्रम जिनके प्रवेश, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण उनकी पृथक नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी –

- 6.1 यह नयी क्रेडिट व्यवस्था सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। जिन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।
- 6.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु नवीन क्रेडिट व्यवस्था प्रोग्रेसिव मोड (Progressive Mode) में लागू की जायेगी, जिसके दृष्टिगत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एन0ई0पी0 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थियों पर उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2028-29 से लागू की जायेगी।
- 6.3 शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जून, 2025 में पूर्ण होने के पश्चात् इन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेश देते हुए ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर तथा उसके अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम लागू होंगे। ऐसे छात्र 03 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अथवा 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होंगे। इन छात्रों को स्टैण्डअलोन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में प्रवेश अनुमन्य किया जा सकेगा।

7- कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) –

- 7.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 कोर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा।
- 7.2 विद्यार्थियों द्वारा संकाय के अन्तर्गत कोर विषयों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
- 7.3 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।
- 7.5 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

- 7.6 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य एच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा।
- 7.7 सामान्य एच्छिक (GE) का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य एच्छिक (GE) की कक्षाएँ संकाय में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।
- 7.8 विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विषय का चयन करते समय उन विषयों हेतु पूर्वनिर्धारित अर्हता (Pre-Requisite/eligibility) पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

8- ए0 ई0 सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)-

क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (ए0ई0सी0) पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट्स का होगा।

9- एस0 ई0 सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)-

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 03 वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms में से पूर्ण करना होगा।

10- वी0 ए0 सी0 मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) -

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थियों को मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) के अन्तर्गत प्रथम वर्ष किसी एक सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- AEC, SEC एवं VAC पाठ्यक्रम हेतु Pool/Recognized Online Platforms निर्मित किये गये हैं, जो सांकेतिक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप इन Pool में वर्णित विषय/पाठ्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय स्तर पर इन पाठ्यक्रमों के संचालन में महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool से ही विषयों/पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य होगा।

11- आई0 ए0 पी0 सी0 (इंटरनशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क -

इंटरनशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच (IAPC) पर आधारित पाठ्यक्रम हैं, जो छात्रों को इंटरनशिप, प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, कम्यूनिटी आउटरिच पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक

सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/FIELD WORK से सम्बन्धित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

12- विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन

12.1 DSC - Discipline Specific Core : स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम संकाय चुनने के पश्चात् सम्बन्धित संकाय से 03 विषय विशिष्ट मूल (DSC) के रूप में चुने जाने होंगे जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रुप के आधार पर चयनित किये जायेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है और यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गये विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

12.2 AEC - Ability Enhancement Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टरों) में भाषा आधारित 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। किसी भी भाषा का आधार मजबूत करने के लिये 06-08 क्रेडिट की पढ़ाई का पूर्ण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चतुर्थ सेमेस्टर से Reasoning and Aptitude अथवा भाषा में से किसी एक विकल्प को चुने जाने का विकल्प विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में AEC के अन्तर्गत विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आगामी सेमेस्टर में इसे परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई विद्यार्थी AEC के अन्तर्गत चयनित भाषा का परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गया क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) में मात्र प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर में ही परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। परन्तु क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) प्रोग्रेसिव मोड पर आधारित पाठ्यक्रम है, अतः विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त परिवर्तित कर चुने गये नये AEC के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा साथ ही चुने गये नये AEC के प्रथम सेमेस्टर के क्रेडिट को पृथक से बैकलॉग के माध्यम से अर्जित किया जाना होगा। प्रथम सेमेस्टर में पूर्व में चयनित AEC के अर्जित क्रेडिट मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे साथ ही सम्बन्धित AEC में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

12.3 VAC - Value Added Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टरों) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) को विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से चयन कर सकता है, उसका प्रगतिशील (Progressive) चयन अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

12.4 SEC - Skill Enhancement Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से SEC का चयन कर सकता है। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव (Progressive) के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करना होगा जोकि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के चयन के समय विद्यार्थी को अपने मूल विषय से भिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों का चयन किये जाने के लिये प्रेरित किया जाना होगा, जिससे कि वह अपने मूल विषय के अतिरिक्त कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का अध्ययन कर सके।

12.5 AEC/VAC/SEC का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन : कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तय करेंगे। सम्बन्धित कोर्स (AEC/SEC/VAC) में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

12.6 Nomenclature of Certificate/Diploma/Degree : प्रत्येक अकादमिक वर्ष के उपरान्त कार्यक्रम को पूर्ण करने पर (निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर) औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इसके लिये एक मानकीकृत (Standard) नामकरण प्रणाली को अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त नामकरण प्रणाली में कार्यक्रम, कोर कोर्स, एवं AEC/SEC/VAC के शीर्षक एवं अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

उदाहरण - एक वर्ष - बी0 एस-सी0 फिजिकल साइन्स, कोर: भौतिकी, रसायन, AEC - अंग्रेजी, SEC - साइंटिफिक राइटिंग, VAC - पर्यावरण विज्ञान - कुल क्रेडिट - 44

तीन वर्ष के पश्चात् स्नातक, चतुर्थ वर्ष (FYUP के अन्तर्गत) Honours/Honours with Major-Minor/Honours with Research इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे।

12.7 IAPC & Fieldwork : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का एक-एक इन्टर्नशिप अथवा अप्रेंटिसशिप अथवा प्रोजेक्ट तथा कम्प्यूनिटी आउटरीच अथवा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) का चयन करना होगा। इन्टर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट तथा कम्प्यूनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) Application based होना चाहिए। IAPC & Fieldwork के मूल्यांकन को निष्पक्ष एवं सन्तुलित बनाये जाने के सन्दर्भ प्रस्ताव है कि इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु त्रिस्तरीय मूल्यांकन संरचना लागू की जायेगी-

1. सुपरवाइजर/मेन्टॉर-IAPC & Fieldwork की प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।
2. विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त मूल्यांकन व्यवस्था तय करेंगे।

12.8 Minor Project : स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को IAPC & Fieldwork के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी तृतीय वर्ष में लागू IAPC & Fieldwork को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को लघु परियोजनाओं का ज्ञान अर्जित किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष में किसी एक सेमेस्टर में विद्यार्थी को SEC के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध (Minor Project) पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12.9 Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 06 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का अध्ययन करने का प्रावधान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का Topic आवंटित किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में Dissertation/ Entrepreneurship/ Academic Project के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Outcome निर्धारित किये जायेंगे तथा विद्यार्थी द्वारा इन Outcomes को प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर सम्बन्धित सेमेस्टर हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project की रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन विधि तय करेंगे।

12.10 Data Science : कला वर्ग कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत डेटा साइन्स (Data Science) से सम्बन्धित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डेटा साइन्स का पाठ्यक्रम अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के आधार पर भी प्रेरित किया जा सकता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त Certification भी प्रदान किया जा सकता है। जिसका वर्णन विद्यार्थी की डिग्री में भी अंकित किया जा सकता है।

12.11 Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि -

- क. 04 क्रेडिट के GE के रूप में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं।
- ख. GE के अन्तर्गत 28 क्रेडिट पूर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माईनर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा।

12.12 Online/MOOC's पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि-

- क. क्रेडिट संरचना में FYUP के अन्तर्गत डिग्री हेतु 176 क्रेडिट अर्जित किये जाने अनिवार्य हैं।
- ख. Online/MOOCs के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट को शामिल किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नीति निर्धारण करेंगे।
- ग. आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत नीति तैयार की जानी होगी।
- घ. इन क्रेडिट्स को सीधे Academic Bank of Credits (ABC) में जोड़ा जा सकता है।
- ङ. अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट्स का उपयोग मैरिट निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

- 12.13** सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दोनों सेमेस्टर्स में मिलाकर न्यूनतम 26 क्रेडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी दोनों सेमेस्टर्स में शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहे एवं उनका पठन-पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे। यह नियम समस्त पाठ्यक्रमों एवं समस्त वर्गों पर समान रूप से लागू होगा।

13- क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]

Illustration - 1: Multidisciplinary Courses of Study [Three core Disciplines] for B.com DSC A B C shall be replaced with DSC 1 2 3/Allied Disciplines								
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project/Field Work (2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	Discipline A1- (4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B1- (4)							
	Discipline C1- (4)							
II	Discipline A2- (4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B2- (4)							
	Discipline C2- (4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total = 44
III	Discipline A 3 (4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses, GE -3 (4)		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
	Discipline B 3 (4)							
	Discipline C 3 (4)							
IV	Discipline A 4 (4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses GE - 4 (4)		Choose one from a pool of AEC courses (2) Or Reasoning & Aptitude	Choose one SEC (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B 4 (4)							
	Discipline C 4 (4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV								Total = 88
Semester	Core	Elective	Generic	Ability	Skill	Internship/	Value added course	Total

	(DSC)	(DSE)	Elective (GE)	Enhancement Course (AEC)	Enhancement Course (SEC)	Apprentice ship/Project (4)	(VAC)	Credits
V	Discipline A 5 (4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C- (4) OR Choose one from a pool of courses GE-5 (4)			Choose one SEC (2)	Internship/ Apprenticeship/ Project/Community outreach /Field work (4)		22 credits
	Discipline B 5 (4)							
	Discipline C 5 (4)							
VI	Discipline A 6 (4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C- (4) OR Choose one from a pool of courses GE-6 (4)			Choose one SEC (2)	Internship/ Apprenticeship/ Project/Community outreach/ Field work (4)		22 credits
	Discipline B 6 (4)							
	Discipline C 6 (4)							
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 132 credits on completion of Semester VI								Total= 132
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE) Or Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project (2)	Dissertation		Total Credits
VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE-(2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (Total= 12)				Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)		22 credits
VIII	D SC- (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE -(2x4) one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total= 12)				Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)		22 credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study with Major/Minor) (Honours or Honours with Academic Projects/Entrepreneurship/Research) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII Or If a student opts for a two-year PG program, they have the option to obtain a PG diploma in the core subject upon earning 44 credits at the conclusion of the second semester of the PG program.								Total = 176

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/Project (2)	Dissertation	Total Credits
IX	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
X	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two D SE -(2x4) one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertati on on Major (6) OR Dissertati on on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
Students on exit shall be Master's in Core subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X								Total = 220

Important Note :

- Students studying DSEs offered by any Discipline other than his/her Core Discipline will be treated as GE for him/her.
जो विद्यार्थी अपने कोर विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय विशिष्ट ऐच्छिक लेता है तो ऐसा विषय विशिष्ट ऐच्छिक, सामान्य ऐच्छिक माना जायेगा।
- Honours Degree: To pursue an Honours degree in a field of multidisciplinary study, candidates will have to choose, in the fourth year, only one of the disciplines (either A or B or C).
ऑनर्स उपाधि - यदि कोई विद्यार्थी बहुविषयक अध्ययन में ऑनर्स उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को चौथे वर्ष में A अथवा B अथवा C में से एक विषय लेना होगा।
- Major and Minor shall be awarded on fulfilment of the following conditions. Major -> 80 credits, Minor -> 28 credits
Example -
B.Sc. Physical Sciences programme with Physics, Mathematics, and Chemistry as core disciplines.

Case I: He/She shall get Major in Physics, on successful completion of VIII semester, if he/she earns a minimum of 80 credits in Physics from Eight DSCs and at least Nine DSEs of Physics and writes a dissertation in Physics.

Advice: Students are advised to choose the discipline in which they wish to Major and must study at least Three DSEs of that discipline in the first three years. Like in this example, the student must decide earlier and study three DSEs of Physics in the first three years as only a maximum of six DSEs are available in the fourth year. Similarly, if the student wants to minor in any of the remaining two disciplines, he/she should study one DSE of that discipline in the first three years. He/She shall get a Minor in Mathematics, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and one DSE of Mathematics. Or He/She shall get a Minor in Chemistry, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and One DSE of Chemistry.

Case II: If a student doesn't do a dissertation in Physics but in other disciplines, say Mathematics or Chemistry, or does Academic Project or Entrepreneurship, then he/she will not be awarded Major in Physics, as he/she will be unable to obtain 80 credits. In such cases, he/she will be awarded B.Sc. (Honours) Physical Sciences.

विद्यार्थियों को निम्नांकित शर्तों को पूर्ण करने पर ही मेजर तथा माइनर प्रदान किया जायेगा -
मेजर -> 80 क्रेडिट्स, माइनर -> 28 क्रेडिट्स।

उदाहरण-

बी0 एस-सी0 फिजिकल साइन्स पाठ्यक्रम - जिसमें भौतिकी, गणित तथा रसायन विज्ञान का विद्यार्थी द्वारा कोर विषय के रूप में चयन किया गया है।

केस - 1 : विद्यार्थी को आठवें सेमेस्टर के सफल समापन पर भौतिकी का मेजर केवल इसी शर्त पर प्रदान किया जायेगा जब उसने 08 डी0 एस0 सी0 तथा कम से कम 09 डी0 एस0 ई0 एवं 01 शोध प्रबन्ध भौतिकी विषय के रूप में चयन कर न्यूनतम 80 क्रेडिट प्राप्त कर लिये हों।

सलाह - विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उस विषय को चुनें जिसमें वे मेजर करना चाहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों में उस विषय में कम से कम 03 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिये विद्यार्थी को पहले निर्णय लेना होगा और पहले तीन वर्षों में भौतिकी के तीन डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा क्योंकि चतुर्थ वर्ष में अधिकतम 06 डी0 एस0 ई0 उपलब्ध है। इसी प्रकार, यदि छात्र शेष 02 विषयों में से किसी में माइनर करना चाहता है तो उसे पहले तीन वर्षों में उस विषय के 01 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा। यदि वह 06 डी0 एस0 सी और गणित में न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे गणित में माइनर मिलेगा। या यदि वह रसायन विज्ञान के 06 डी0 एस0 ई0 और 01 डी0 एस0 ई0 से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे रसायन विज्ञान में माइनर मिलेगा।

केस - 2 : यदि कोई छात्र भौतिकी में शोध प्रबंध नहीं करता है, लेकिन अन्य विषयों, जैसे गणित या रसायन विज्ञान या अकादमिक परियोजना या उद्यमिता करता है तो उसे भौतिकी में मेजर प्रदान नहीं किया जायेगा क्योंकि वह 80 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ होगा। ऐसे मामलों में उसे बी0 एस-सी0 ऑनर्स की उपाधि फिजिकल साइन्सेज में प्रदान की जायेगी।

- 5- त्रीवर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु स्नातक स्तर का चतुर्थ वर्ष स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के समतुल्य होगा।
- 6- चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) पूर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

Bachelor of (Field of Study/ Discipline) (Hons.) [single core Disciplines]								
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/Project/Field Work* (2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	DSC - 1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
	DSC - 2(4)							
	DSC - 3(4)							
II	DSC - 4(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
	DSC - 5(4)							
	DSC - 6(4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Study/ Discipline) after securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total = 44
III	DSC - 7(4)	Choose one from pool of courses, DSE – 1 (4) OR Choose one from pool of courses, GE -3 (4)**		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC Or Internship/ Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)*		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
	DSC - 8(4)							
	DSC -9 (4)							
IV	DSC - 10(4)	Choose one from pool of courses, DSE – 2 (4) OR in the alternative choose one from pool of courses GE - 4 (4)**		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC Or Internship/ Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)*		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
	DSC - 11(4)							
	DSC - 12(4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Study/ Discipline) after securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV								Total = 88
V	DSC - 13(4)	Choose one from a pool of courses DSE - 3 (4)	Choose one from a pool of courses GE-5 (4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)**			22 credits
	DSC - 14(4)							
	DSC - 15(4)							
VI	DSC - 16(4)	Choose one from a pool of courses DSE - 4 (4)	Choose one from a pool of courses GE-6 (4)		Choose one SEC OR 'Internship/ Apprenticeship/ Project/Research/ Community Outreach (2)***			22 credits
	DSC - 17(4)							
	DSC - 18(4)							
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Study/Discipline) after securing the requisite 132 credits on completion of Semester VI								Total = 132

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/Project (2)	Dissertation Etc.	Total Credits
VII	DSC-19 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
VIII	DSC-20 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
Students, on exit, shall be awarded a Bachelor of (in the Field of Study/Discipline) — either Honours with Research / Academic Projects / Entrepreneurship , or Honours with Research in Discipline-1 (Major) with Discipline-2 (Minor) — after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII .								Total = 176
IX	DSC-21 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
X	DSC-22 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
Students on exit shall be Master's in Core subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X								Total = 220

* There shall be choice in III, IV, V and VI Semesters to choose either one 'SEC' or in the alternative 'Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach' in each Semester for two credits each.

14- मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)

- 14.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.
- 14.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी 40% समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित सक्षम समिति (Competent Authority) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

15- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण –

- 15.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 15.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 15.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय “ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट” के माध्यम से किये जायेंगे।
- 15.4 विद्यार्थी न्यूनतम 44 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 176 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) डिग्री, न्यूनतम 220 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 44 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 44 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (re-credit) करेगा, जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 88 (44 + 44) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

- 15.5 स्नातक स्तर पर तीन वर्ष में विद्यार्थी DSC/DSE/GE विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 15.6 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 15.7 समस्त DSC, DSE एवं GE हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित हैं। ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटक सम्मिलित हैं उनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटकों का क्रेडिट निर्धारण उन विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम में वर्णित क्रेडिट व्यवस्था के आधार पर होगा।
- 15.8 समस्त AEC, VAC, एवं SEC हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 02 क्रेडिट निर्धारित हैं।
- 15.9 IAPC/FIELD WORK हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित हैं।
- 15.10 ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी एक विभाग विशेष द्वारा संचालित नहीं होते हैं उनको संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक Multidisciplinary, Board of Studies का गठन कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली –

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	

17- उत्तीर्ण प्रतिशत –

- 17.1 उपरोक्त तालिका में DSC, DSE and GE विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर सभी (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पृथक-पृथक) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।
- 17.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी विषयों में DSC/DSE/GE के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continious Internal Evaluation) व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

17.3 AEC/SEC/VAC/Dissertation/IAPC/Field Work इत्यादि के प्रत्येक कोर्स में उत्तीर्ण होने हेतु 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा तथा इनकी परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जायेगी।

17.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक से कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा।

17.5 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक कोर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 होगा।

17.6 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

17.7 मूल्यांकन एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

18 - कक्षान्नाति (Promotion)

18.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

18.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी –

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 26 क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

19 - बैक पेपर परीक्षा –

19.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

19.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी। अर्थात् सम सेमेस्टर की बैक परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ और विषम सेमेस्टर की बैक परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ।

19.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो तत्समय संचालित सम्बन्धित सेमेस्टर में लागू है।

19.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक दे सकता है।

19.5 किसी भी पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की स्पेशल बैक परीक्षा अनुमन्य नहीं होगी।

20 - काल अवधि –

किसी भी पाठ्यक्रम (UG Certificate/UG Diploma/UG Degree/UG Degree Honours/PG Degree) को पूर्ण करने के लिये अधिकतम काल अवधि N + 02 वर्ष होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश संख्या – D.O.No.F.12-1/2015 (CPP-II) दिनांक 15th October, 2015 के क्रम में अधिकतम 01 वर्ष काल अवधि विनिर्दिष्ट उपनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

काल अवधि के सम्बन्ध में NEP के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Expiry of Credits से सम्बन्धित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगे।

21- SGPA एवं CGPA की गणना –

21.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – $SGPA (S_j) = \sum(C_i \times G_i) / \sum C_i$	यहाँ पर – C_i = number of credits of the i th course in j th semester G_i = grade point scored by the student in the i th course in j th semester
$CGPA = \sum(C_j \times S_j) / \sum C_j$	यहाँ पर – S_j = SGPA of the j th semester C_j = total number of credits in the j th semester

21.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 9.5$$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा:—

CCD	Course Title	CT	SEM	CRDT	GR	GR(P)	CRPT
0012421801	Economics: Basics of Microeconomics	DSC	I	4	B+	7	28
0012421501	History: History of India	DSC	I	4	B	6	24
0012421301	Political Science: Indian Political System	DSC	I	4	A	8	32
0032442107	Basic Physics I	GE	I	4	B	6	24
0052441703	Yoga and Human Values	VAC	I	2	B	6	12
0042461207	हिंदी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार	AEC	I	2	B+	7	14

0062471218	Data Analytics	SEC	I	2	B	6	12
SEM	TOTAL CREDIT	TOTAL CR. PT.	SGPA	RESULT			
I	22	146	6.63	PASS			

Credit points = Grade point x Credit

SGPA = Total credit points / total credits (146/22 = 6.63)

Rounded to two decimal digits

CALCULATION OF CGPA			
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit : 22 SGPA : 6.63	Credit : 22 SGPA : 7.22	Credit : 22 SGPA : 8.96	Credit : 22 SGPA : 7.22
The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade Value / Total Credits (In all the semesters till now.) Thus, CGPA = (22 X 6.63 + 22 x 7.22 + 22 X 8.96 + 22x7.22)/88 = 7.50 Hence, equivalent percentage = 7.50 X 9.5 = 71.25 And the Division will be First			

21.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

22 - प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time-table)

22.1 समय-सारणी (Time-table) निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

22.2 विश्वविद्यालय सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनिर्देशों के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

22.3 स्नातक स्तर के चतुर्थ वर्ष (FYUP) में प्रवेश हेतु अर्हता का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

23 - मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit) –

23.1 विश्वविद्यालय मैरिट में स्थान का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल ग्रेड प्वाइन्ट (CGPA) के आधार पर किया जायेगा। समान CGPA होने की स्थिति में कुल ग्रेड प्वाइन्ट (CGPA) को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिये Conversion Factor 9.5 का प्रयोग करते हुए मैरिट का निर्धारण किया जायेगा।

23.2 जिन पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश अनुमन्य किया जाता है ऐसे विद्यार्थियों हेतु मैरिट निर्धारण सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा Lateral Entry के विद्यार्थियों को मैरिट सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने हेतु पृथक से विश्वविद्यालय स्तर पर नीति निर्धारित की जा सकती है।

24 - अध्यादेश संशोधन का अधिकार –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक होगा। अध्यादेश में भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा-निर्देशों एवं अध्यादेशों को समाहित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अध्यादेश में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

TENTATIVE LIST OF AEC'S

S.N	Subject	Title of course
1	English	English Language through Literature
2		English Communication
3		Communication through Digital Tools
4		Introduction to Translation
5	Hindi	हिन्दी भाषा : व्याकरण(खं ड- अ)
6		हिन्दी भाषा : व्याकरण(खं ड- ब)
7		हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खं ड-अ)
8		हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खं ड-ब)
10	Sanskrit	संस्कृतभाषा एवं साहित्य
		संस्कृतभाषा-संज्ञा एवं परिभाषा
		संस्कृतभाषा-सन्धि एवं उपसर्ग
		संस्कृतभाषा-कारक एवं प्रत्यय
12	Reasoning & Aptitude	Optional in UG 4 th Semester (Note: Students can also opt for any other Modern Indian Language / Foreign Language from recognized online learning platforms.)

TENTATIVE LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)

S.No.	SUBJECT	No.	NAME OF THE COURSE
1	Botany	1	Mushroom Cultivation I
		2	Mushroom Cultivation II
		3	Mushroom Cultivation III
		4	Mushroom Cultivation IV
		5	Mushroom Cultivation V
		6	Mushroom Cultivation VI
		7	Hydroponics I
		8	Hydroponics II
		9	Hydroponics III
		10	Hydroponics IV
		11	Hydroponics V
		12	Hydroponics VI
		13	Nursery Development And Floriculture I
		14	Nursery Development And Floriculture II
		15	Nursery Development And Floriculture III
		16	Nursery Development And Floriculture IV
		17	Nursery Development And Floriculture V
		18	Nursery Development And Floriculture VI
2	Chemistry	19	Introduction To Chemistry Laboratory
		20	Laboratory Techniques
		21	Cosmetics And Perfume
		22	Soap And Detergents Formulation
		23	UV And FTIR Spectroscopy
		24	HPLC And GC Techniques
3	Commerce	25	Personal Financial Planning
		26	Digital Marketing
		27	Investing In Stock Markets
		28	Level 1:Certificate In BFSI – Architecture
		29	Level 2:Certificate In Mutual Fund
		30	Entrepreneurship And New Venture Creation
4	Computer Science	31	Office 365
		32	Excel
		33	PowerPoint Presentation
		34	Cyber Security Awareness
		35	Unix System Administration & Shell Programming
		36	Client-Side Web Technology
		37	Server-Side Web Technology
5	Drawing And Painting	38	Pencil Sketching Skill
		39	Pencil Shading Skill
		40	Poster Designing
		41	Traditional Composition
		42	Nature Study
		43	Head Study In Charcoal

6	Economics	44	Regional Economics and Urbanization In Uttarakhand
		45	Environmental Economics
		46	Entrepreneurship Development Skills
		47	Fundamentals Of Startups
7	Education	48	Computer In Education
		49	Leadership And Personality Development
		50	Digital Education
		51	ICT In Education
		52	Artificial Intelligence and Education
		53	Data Interpretation and Statistical Analysis
8	English	54	Public Speaking and Leadership Skills
		55	Creativity and Performances in Uttarakhand
		56	Academic Writing
		57	Editing and Proofreading
		58	Language and Journalism
		59	Film Appreciation
9	Fashion Designing	60	Traditional Indian Embroideries
		61	Clothing Culture and Communication
		62	Trend Research & Forecasting
		63	Craft Research and Documentation
10	Food and Nutrition	64	Personality Development
		65	Fashion Apparel Designing
		66	Guidance and Counseling
		67	Public Speaking
		68	Sustainable Development
		69	Intervention of Children with Special Needs
11	Food Technology	70	Basic Concepts in Lab Techniques- I
		71	Basic Concepts in Lab Techniques- II
		72	Technology of Mushroom Production
		73	Food Authenticity and Fraud Detection
		74	Advances in Food Processing- I
		75	Advances in Food Processing- II
12	Forestry	76	Nursery Technology
		77	Plantation Technology
		78	Propagation of Medicinal and Aromatic Plants

13	Geography A. Climate Change And Adaptability In Mountains	79	Introduction to Mountain Ecosystems and Geography
		80	Fundamentals of Climate Change
		81	The Impact of Climate Change on Mountain Regions
		82	Climate Change Mitigation and Adaptation in Mountain Regions
		83	Mountain Conservation and Ecosystem Services
		84	Mountain Research Project and Climate Change Advocacy
	Geography B. Mapping Techniques	85	Introduction to Mapping and Cartography
		86	Digital Mapping: Tools and Software
		87	Advanced Mapping Techniques and Data Representation
		88	Remote Sensing and Satellite Data in Mapping
		89	Mapping for Specific Applications
		90	GIS Applications and Project Work
	Geography C. Disaster Management	91	Basic Concepts of Disaster Management
		92	Disaster Preparedness
		93	Disaster Response
		94	Disaster Rehabilitation
		95	Community Based Disaster Management
		96	Disaster Management and Planning
14	Geology	97	Gems, Precious Stone and Building Materials (Theory)
		98	Gems, Precious Stone and Building Materials (Lab)
15	Hindi	99	हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार
		100	रचनात्मक लेखन का परिचय
		101	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन
		102	विज्ञापन लेखन
		103	सोशल मीडिया लेखन
		104	पटकथा लेखन
		105	कुमाऊँनी संस्कृति एवं भाषा
		106	गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति
16	Home Science	107	House Keeping
		108	Fruits and Vegetables Preservation
		109	NGO Management and Corporate Social Responsibility
		110	Food Safety, Sanitation and Hygiene
	Home Science (Prepared for the Pool of Courses)	111	Personality Development
		112	Fashion Apparel Designing
		113	Guidance and Counselling
		114	Public Speaking
		115	Sustainable development
		116	Intervention of Children with Special needs
17	Interior and Exterior Decoration	117	Resource & Space Planning
		118	Event Management
		119	Human Comfort Design
		120	Landscaping Indoor/Outdoor
18	Library & Information Science	121	Library and Information Science Management
19	Mathematics	122	Mathematical Techniques
		123	Data Analysis Methods
		124	Financial Mathematical Analysis

20	Music	125	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 01
		126	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 02
		127	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal - 03
		128	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal – 04
		129	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 05
		130	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 06
21	Philosophy	131	Yoga as Applied Philosophy
		132	Fundamental of Yoga
		133	Yoga as Holistic Health
		134	Yoga Education for Better living (Life)
		135	Yoga as Naturopathy
		136	Yoga as Personality Development
22	Physical Education	137	Indigenous Activities - I
		138	Indigenous Activities – II
		139	Fitness & Conditioning
		140	Yoga and Wellness
		141	Adventure Sports
		142	Gym Operation
23	Physics	143	Basic Instrumentation Skills -I
		144	Basic Instrumentation Skills -II
		145	Basic Instrumentation Skills -III
		146	Basic Instrumentation Skills -IV
		147	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques -I
		148	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques-II
		149	Electrical Circuit Network Skills - I
		150	Electrical Circuit Network Skills - II
24	Psychology	151	Personal Growth and Life Skills
		152	Stress Management
		153	Principles & Practices of Mental Health Counselling
		154	Application of Emotional Intelligence
		155	Effective Decision Making
		156	Psychological Skills in Organizational and Professional Growth
		157	Psychological Skills in Foundation of Data Analysis
		158	Psychological Skills in Counseling Psychology
		159	Psychological Skills in Child and Adolescent Development
		160	Foundation of Data Analysis
		161	Counseling Psychology
		162	Child and Adolescent Development
25	Sanskrit	163	नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान
		164	संस्कृत संगणक
		165	ज्योतिषशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त
		166	संस्कृत छन्द एवं संगीत
		167	रंगमंच के सिद्धान्त
		168	भारतीय वास्तुकला

26	Sociology	169	Techniques of Social Research- I (Research Problem Identification and Data Collection)
		170	Techniques of Social Research - II (Data Management, Analysis, and Presentation)
		171	Applied Anthropology- I (Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of Uttarakhand)
		172	Applied Anthropology -II (Tribal Skills: Challenges and Opportunities)
		173	Public Policy-I (Public Policy Formulation and Stakeholders)
		174	Public Policy-II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
27	Yogic Science	175	Yoga and Wellness
		176	Introduction to Yoga & Naturopathy
		177	Introduction to Alternative Therapies
		178	Introduction to Ayurveda
		179	Yogic Management of Lifestyle related disorders
		180	Holistic Health Development
28	Zoology	181	Pearl Culture – Theory
		182	Pearl Culture - Practical
		183	Vermiculture – Theory
		184	Vermiculture - Practical
		185	Sericulture – Theory
		186	Sericulture - Practical
		187	Biofloc Fish Culture – Theory
		188	Biofloc Fish Culture - Practical
		189	Immunodiagnostics – Theory
		190	Immunodiagnostics - Practical
		191	Hematological Techniques – Theory
		192	Hematological Techniques - Practical
29	History	193	Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE)
		194	Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE)
		195	Cultural and Natural Heritage of Uttarakhand
		196	Heritage Tourism in India
30	Anthropology	197	Museum and Heritage Studies - I
		198	Museum and Heritage Studies – II
		199	Communication and Visual Anthropology
		200	Biostatistics and Computational Anthropology
31	Defence and Strategic Studies	201	Defence Studies Disaster Management (Part I)
		202	Defence Studies Disaster Management(Part II)
		203	Defence Studies Disaster Management (Part III)
		204	Defence Studies Disaster Management(Part IV)

32	Political Science	205	Introduction to Politics and Political Process
		206	Political Leadership
		207	Governance & Public Policy
		208	Introduction to the Indian Constitution
		209	Leadership in Democracy
		210	Political Training
33	NCC	211	NCC Skill Enhancement Course-I
		212	NCC Skill Enhancement Course-II
		213	NCC Skill Enhancement Course-III
		214	NCC Skill Enhancement Course-IV
		215	NCC Skill Enhancement Course-V
		216	NCC Skill Enhancement Course-VI
34	Self-Paced Courses offered by NASSCOM/INFOSYS Spring Board	217	Cyber Security & Office Tools- I
		218	Fundamentals of Python for Data Science- II
		219	Emerging Technologies- III
		220	Fundamentals of Data Analytics- IV
		221	Introduction to the World of AI/ML- V
		222	Certification- VI

TENTATIVE LIST OF VAC'S

S.No	Title of course
1.	SOFT SKILLS FOR LIS PROFESSIONALS
2.	पंचतन्त्र में वर्णित नीतिपरक शिक्षाएँ
3.	पंचकोश: व्यक्तित्व का समग्र विकास
4.	संस्कृतवाङ्मय में पर्यावरण चेतना
5.	Yoga & Human Values
6.	Food, Nutrition and Health
7.	Public Health and Hygiene
8.	Mind Body Medicine
9.	Womanhood in India
10.	Healthy Lifestyle for University Students – I
11.	Healthy Lifestyle for University Students – II
12.	Healthy Lifestyle for University Students – III
13.	Healthy Lifestyle for University Students – IV
14.	Ayurveda and Nutrition
15.	Constitutional Values and Fundamental Duties
16.	Culture and Communication
17.	Digital Empowerment
18.	Emotional Intelligence
19.	Ethics and Culture
20.	Ethics and Values in Ancient Indian Traditions
21.	Financial Literacy
22.	Fit India
23.	Gandhi and Education
24.	Ecology and Literature
25.	Panchkosha: Holistic Development of Personality
26.	Reading Indian Fiction in English
27.	Science and Society
28.	Social and Emotional Learning
29.	Sports for Life-I
30.	Swachh Bharat
31.	The Art of Being Happy
32.	Vedic Mathematics-I
33.	Yoga: Philosophy and Practice
34.	भारतीय भक्ति : परंपरा और मानव मूल्य
35.	साहित्य संस्कृति और सिनेमा
36.	सृजनात्मक लेख के आयाम
37.	Environment Studies and Value Education
38.	Management Paradigms From Bhagavad Gita
39.	Vedic Science
40.	Meditation
41.	Personality Development Through Applied Philosophy of Ramcharitmanas
42.	Essence of Indian Traditional Knowledge
43.	Vivekananda Studies